सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

आषाढ़ 22, मंगलवार, शाके 1943–जुलाई 13, 2021
Asadha 22, Tuesday, Saka 1943- July 13, 2021

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 28, 2021

संख्या प.1(1)चि.स्वा./2/2020 :-माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस.एल.पी. संख्या **11692/2017** डा॰ अमित बागड़ा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक **15.12.2017** की पालना में सेवारत चिकित्सकों को पीजी प्रवेश परीक्षा में अतिरिक्त लाभ देने हेतु इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दि. **14.04.2020** की निरंतरता में राज्य में स्थित निम्न चिकित्सा संस्थानों को 'रिमोट', 'डिफिकल्ट'एवं 'ग्रामीण' घोषित किया जाकर अधिसूचना में उल्लेखित सूची में जोड़ा/संशोधित किया जाता हैः-

1. अधिसूचना में निम्न चिकित्सा संस्थानों का नाम जोड़ा जाता हैः-

क्र.सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम	ब्लॉक का नाम	जिले का नाम	विशेष विवरण (रिमोट/ग्रामीण/डिफिकल्ट)
1	सामु.स्वा.के., पूंजपुर	आसपुर	डूँगरपुर	ग्रामीण क्षेत्र
2	सामान्य चिकित्सालय अजीतगढ	श्रीमाधोपुर	सीकर	ग्रामीण क्षेत्र
3	प्रा.स्वा.के., पराडिया	चौहटन	बाडमेर	ग्रामीण क्षेत्र
4	प्रा.स्वा.के., भदरई	धोरीमन्ना	बाडमेर	ग्रामीण क्षेत्र
5	प्रा.स्वा.के., ईटादा	चौहटन	बाडमेर	ग्रामीण क्षेत्र
6	प्रा.स्वा.के., जागसा	बालोतरा	बाडमेर	ग्रामीण क्षेत्र
7	प्रा.स्वा.के., मारूडी	बाडमेर	बाडमेर	ग्रामीण क्षेत्र
8	प्रा.स्वा.के., प्रतापपुरा	झुन्झुनु	झुन्झुनु	ग्रामीण क्षेत्र
9	प्रा.स्वा.के., देवीपुरा बणी	नवलगढ	झुन्झुनु	ग्रामीण क्षेत्र
10	प्रा.स्वा.के., गौरीर	खेतडी	झुन्झुनु	ग्रामीण क्षेत्र
11	प्रा.स्वा.के., सराय	उदयपुरवाटी	झुन्झुनु	ग्रामीण क्षेत्र
12	सामु.स्वा.के., नाचना	जैसलमेर	जैसलमेर	ग्रामीण क्षेत्र
13	प्रा.स्वा.के., सविना	गिर्वा	उदयपुर	ग्रामीण क्षेत्र
14	प्रा.स्वा.के., सगतडा	सराडा	उदयपुर	ग्रामीण क्षेत्र
15	प्रा.स्वा.के., लुण्दा	भीण्डर	उदयपुर	ग्रामीण क्षेत्र
16	प्रा.स्वा.के., कुण	लसाडिया	उदयपुर	रिमोट क्षेत्र

क्र.सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम	ब्लॉक का नाम	जिले का नाम	विशेष विवरण (रिमोट/ग्रामीण/डिफिकल्ट)
17	प्रा.स्वा.के., मालवा का चौरा	कोटडा	उदयपुर	रिमोट क्षेत्र
18	प्रा.स्वा.के., माण्डवा	कोटडा	उदयपुर	रिमोट क्षेत्र
19	प्रा.स्वा.के., चॉदसा	गिर्वा	उदयपुर	ग्रामीण क्षेत्र
20	सामु.स्वा.के., तूंगा	बस्सी	जयपुर	ग्रामीण क्षेत्र
21	प्रा.स्वा.के., गुढानाथावतान	बून्दी	बून्दी	ग्रामीण क्षेत्र
22	प्रा.स्वा.के., ठिकरिया चारणान	तालोडा	बून्दी	ग्रामीण क्षेत्र
23	प्रा.स्वा.के., झालीजी का बराना	काप्रेन	बून्दी	दुर्गम क्षेत्र
24	प्रा.स्वा.के., बडाखेडा	काप्रेन	बून्दी	दुर्गम/दुरस्थ क्षेत्र
25	प्रा.स्वा.के., रानीपुरा	हिण्डोली	बून्दी	ग्रामीण क्षेत्र
26	प्रा.स्वा.के., दबलाना	हिण्डोली	बून्दी	ग्रामीण क्षेत्र
27	प्रा.स्वा.के., देवजी का थाना	हिण्डोली	बून्दी	दुर्गम क्षेत्र
28	प्रा.स्वा.के., बडानयागांव	हिण्डोली	बून्दी	ग्रामीण क्षेत्र
29	प्रा.स्वा.के., दुगारी	नैनवां	बून्दी	दुर्गम क्षेत्र
30	प्रा.स्वा.के., जजावर	नैनवां	बून्दी	ग्रामीण क्षेत्र
31	प्रा.स्वा.के., देई	नैनवां	बून्दी	ग्रामीण क्षेत्र
32	प्रा.स्वा.के., तलवास	नैनवां	बून्दी	दुर्गम क्षेत्र
33	सामु.स्वा.के., पेच का बावडी	हिण्डोली	बून्दी	ग्रामीण क्षेत्र
34	सामु.स्वा.के., लक्ष्मीपुरा	तालेडा	बून्दी	ग्रामीण क्षेत्र
35	प्रा.स्वा.के., सोनियाणा	सहाडा मु. गंगापुर	भीलवाडा	ग्रामीण क्षेत्र
36	प्रा.स्वा.के., आटुण	हमीरगढ मु. सुवाणा	भीलवाडा	ग्रामीण क्षेत्र
37	सामु.स्वा.के., छोटीसरवन	छोटीसरवन	बांसवाडा	ग्रामीण क्षेत्र
38	प्रा.स्वा.के., झुझण्डा	मूण्डवा	नागौर	ग्रामीण/दुर्गम
39	प्रा.स्वा.के., सुरपालिया	जायल	नागौर	ग्रामीण/दुर्गम
40	प्रा.स्वा.के., डोडीयाना	रियां बडी	नागौर	ग्रामीण/दुर्गम
41	प्रा.स्वा.के., मावा	डीडवाना	नागौर	ग्रामीण/दुर्गम
42	प्रा.स्वा.के., बडू	परबतसर	नागौर	ग्रामीण/दुर्गम
43	प्रा.स्वा.के., महाराजपुरा	कुचामन	नागौर	ग्रामीण/दुर्गम
44	प्रा.स्वा.के., गुडासाल्ट (पीपीपी मोड पर संचालित)	कुचामन	नागौर	ग्रामीण/दुर्गम
45	सामु.स्वा.के., पीपलखूंट	पीपलखूंट	प्रतापगढ	ग्रामीण क्षेत्र

क्र.सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम	ब्लॉक का नाम	जिले का नाम	विशेष विवरण (रिमोट/ग्रामीण/डिफिकल्ट)
46	सामु.स्वा.के. फतेहगढ	अरांई	अजमेर	ग्रामीण क्षेत्र
47	सामु.स्वा.के., रामगढ़	मसूदा	अजमेर	ग्रामीण क्षेत्र
48	सामु.स्वा.के., भदूण	किशनगढ	अजमेर	ग्रामीण क्षेत्र
49	प्रा.स्वा.के., मांगलीयावास	पीसागन	अजमेर	ग्रामीण क्षेत्र
50	प्रा.स्वा.के., गेगल	श्रीनगर	अजमेर	ग्रामीण क्षेत्र
51	प्रा.स्वा.के., पीपालज	केकडी	अजमेर	ग्रामीण क्षेत्र
52	प्रा.स्वा.के., सलारी	केकडी	अजमेर	ग्रामीण क्षेत्र
53	प्रा.स्वा.के., मनोहपुरा	अरांई	अजमेर	ग्रामीण क्षेत्र
54	प्रा.स्वा.के., गुलगांव	केकडी	अजमेर	ग्रामीण क्षेत्र
55	सामु.स्वा.के., बज्जू	कोलायत	बीकानेर	ग्रामीण/दुर्गम क्षेत्र
56	सामु.स्वा.के., नापासर	बीकानेर	बीकानेर	ग्रामीण क्षेत्र
57	सामु.स्वा.के., पाँचू	नोखा	बीकानेर	ग्रामीण क्षेत्र
58	प्रा.स्वा.के., ईसरा का बास	बानसूर	अलवर	ग्रामीण क्षेत्र
59	प्रा.स्वा.के., नागंल खोडिया	बहरोड	अलवर	ग्रामीण क्षेत्र
60	प्रा.स्वा.के., रोनीजाथान	खेडली	अलवर	ग्रामीण क्षेत्र
61	प्रा.स्वा.के., नीमला	राजगढ	अलवर	ग्रामीण क्षेत्र
62	प्रा.स्वा.के., कीलपुर खेडा	रैणी	अलवर	ग्रामीण क्षेत्र
63	प्रा.स्वा.के., बसई जोगियान	थानागाजी	अलवर	ग्रामीण क्षेत्र
64	प्रा.स्वा.के., जलालपुर	तिजारा	अलवर	ग्रामीण क्षेत्र
65	प्रा.स्वा.के., खारा	चितलवाना	जालोर	ग्रामीण क्षेत्र

2. इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक **14.04.2020** में निम्न संस्थानों के नाम निम्न तालिका में उनके नाम के सम्मुख उल्लेखानुसार संशोधित किये जाते हैं-

क्र. स.	अधि. में क्र.सं.	अधि. में नाम	संशोधन	खण्ड	जिला
1	399	प्रा.स्वा.के., भगोठ	प्रा.स्वा.के., भगोठ के स्थान पर प्रा.स्वा.के., भगेगा किया जाता है।	नीम का थाना	सीकर
2	404	प्रा.स्वा.के., छलपतपुरा	प्रा.स्वा.के., छलपतपुरा के स्थान पर प्रा.स्वा.के, दलपतपुरा किया जाता है।	नीम का थाना	सीकर
3	405	प्रा.स्वा.के., छीपावास	प्रा.स्वा.के., छीपावास के स्थान पर प्रा.स्वा.के., दीपावास किया जाता है।	नीम का थाना	सीकर
4	97	प्रा.स्वा.के., माझी, रेनवाल, चाकसू	खण्ड का नाम चाकसू के स्थान पर संशोधन करके फागी किया जाता है।	फागी	जयपुर द्वितीय

क्र. स.	अधि. में क्र.सं.	अधि. में नाम	संशोधन	खण्ड	जिला
5	294	प्रा.स्वा.के., अम्बामाता खण्ड - बडीसादडी	खण्ड का नाम बडीसादडी के स्थान पर संशोधन करके प्रतापगढ किया जाता है।	प्रतापगढ	प्रतापगढ
6	300	प्रा.स्वा.के., कुणी खण्ड-धरियावद	खण्ड का नाम धरियावद के स्थान पर संशोधन करके प्रतापगढ किया जाता है।	प्रतापगढ	प्रतापगढ
7	301	प्रा.स्वा.के., बम्बोरी खण्ड - बडीसादडी	खण्ड का नाम बडीसादडी के स्थान पर संशोधन करके छोटीसादडी किया जाता है।	छोटीसादडी	प्रतापगढ
8	302	प्रा.स्वा.के., केसून्दा खण्ड - बडीसादडी	खण्ड का नाम बडीसादडी के स्थान पर संशोधन करके छोटीसादडी किया जाता है।	छोटीसादडी	प्रतापगढ
9	303	प्रा.स्वा.के., धोलापानी खण्ड - बडीसादडी	खण्ड का नाम बडीसादडी के स्थान पर संशोधन करके छोटीसादडी किया जाता है।	छोटीसादडी	प्रतापगढ
10	315	प्रा.स्वा.के., धण्टाली खण्ड-धरियावद	खण्ड का नाम धरियावद के स्थान पर संशोधन करके पीपलखूंट किया जाता है।	पीपलखूंट	प्रतापगढ
11	316	प्रा.स्वा.के., कारूण्डा खण्ड-धरियावद	खण्ड का नाम धरियावद के स्थान पर संशोधन करके छोटीसादड़ी किया जाता है।	छोटीसादड़ी	प्रतापगढ
12	446	सामु.स्वा.के., महनसर खण्ड-झुंझुनू	खण्ड का नाम झुंझुनू के स्थान पर संशोधन करके मलसीसर किया जाता है।	मलसीसर	झुंझुनू
13	447	प्रा.स्वा.के., अलसीसर खण्ड-झुंझुनू	खण्ड का नाम झुंझुनू के स्थान पर संशोधन करके मलसीसर किया जाता है।	मलसीसर	झुंझुनू
14	448	प्रा.स्वा.के., टमकोर खण्ड-झुंझुनू	खण्ड का नाम झुंझुनू के स्थान पर संशोधन करके मलसीसर किया जाता है।	मलसीसर	झुंझुनू
15	449	प्रा.स्वा.के., टाई खण्ड-झुंझुनू	खण्ड का नाम झुंझुनू के स्थान पर संशोधन करके मलसीसर किया जाता है।	मलसीसर	झुंझुनू
16	450	प्रा.स्वा.के., निराधनू खण्ड-झुंझुनू	खण्ड का नाम झुंझुनू के स्थान पर संशोधन करके मलसीसर किया जाता है।	मलसीसर	झुंझुनू
17	451	प्रा.स्वा.के., कालियासर खण्ड-झुंझुनू	खण्ड का नाम झुंझुनू के स्थान पर संशोधन करके मलसीसर किया जाता है।	मलसीसर	झुंझुनू
18	452	प्रा.स्वा.के., लादूसर खण्ड-झुंझुनू	खण्ड का नाम झुंझुनू के स्थान पर संशोधन करके मलसीसर किया जाता है।	मलसीसर	झुंझुनू
19	453	प्रा.स्वा.के., बीरमी खण्ड-झुंझुनू	खण्ड का नाम झुंझुनू के स्थान पर संशोधन करके मलसीसर किया जाता है।	मलसीसर	झुंझुनू
20	454	प्रा.स्वा.के., कॉट	खण्ड का नाम झुंझुनू के स्थान पर	मलसीसर	झुंझुनू

क्र. स.	अधि. में क्र.सं.	अधि. में नाम	संशोधन	खण्ड	जिला
		ब्लाक खण्ड-झुंझुनू	संशोधन करके मलसीसर किया जाता है।		
21	455	प्रा.स्वा.के., ग्याग्यासर खण्ड-झुंझुनू	खण्ड का नाम झुंझुनू के स्थान पर संशोधन करके मलसीसर किया जाता है।	मलसीसर	झुंझुनू
22	456	प्रा.स्वा.के., डाबडीधीरसिंह खण्ड-झुंझुनू	खण्ड का नाम झुंझुनू के स्थान पर संशोधन करके मलसीसर किया जाता है।	मलसीसर	झुंझुनू
23	457	प्रा.स्वा.के., धनूरी खण्ड-झुंझुनू	खण्ड का नाम झुंझुनू के स्थान पर संशोधन करके मलसीसर किया जाता है।	मलसीसर	झुंझुनू
24	458	प्रा.स्वा.के., लूना खण्ड-झुंझुनू	खण्ड का नाम झुंझुनू के स्थान पर संशोधन करके मलसीसर किया जाता है।	मलसीसर	झुंझुनू
25	459	प्रा.स्वा.के., बाजला खण्ड-झुंझुनू	खण्ड का नाम झुंझुनू के स्थान पर संशोधन करके मलसीसर किया जाता है।	मलसीसर	झुंझुनू
26	460	प्रा.स्वा.के., काजडा खण्ड-झुंझुनू	खण्ड का नाम झुंझुनू के स्थान पर संशोधन करके सुरजगढ किया जाता है।	सुरजगढ	झुंझुनू
27	461	प्रा.स्वा.के., किडवाना खण्ड-झुंझुनू	खण्ड का नाम झुंझुनू के स्थान पर संशोधन करके सुरजगढ किया जाता है।	सुरजगढ	झुंझुनू
28	462	प्रा.स्वा.के., काकोडा खण्ड-झुंझुनू	खण्ड का नाम झुंझुनू के स्थान पर संशोधन करके सुरजगढ किया जाता है।	सुरजगढ	झुंझुनू
29	463	प्रा.स्वा.के., देवरोड खण्ड-झुंझुनू	खण्ड का नाम झुंझुनू के स्थान पर संशोधन करके सुरजगढ किया जाता है।	सुरजगढ	झुंझुनू
30	464	प्रा.स्वा.के., बनगोठडी खण्ड-झुंझुनू	खण्ड का नाम झुंझुनू के स्थान पर संशोधन करके सुरजगढ किया जाता है।	सुरजगढ	झुंझुनू
31	465	प्रा.स्वा.के., छापडा खण्ड-झुंझुनू	खण्ड का नाम झुंझुनू के स्थान पर संशोधन करके सुरजगढ किया जाता है।	सुरजगढ	झुंझुनू
32	466	प्रा.स्वा.के., पीपली खण्ड-झुंझुनू	खण्ड का नाम झुंझुनू के स्थान पर संशोधन करके सुरजगढ किया जाता है।	सुरजगढ	झुंझुनू
33	467	प्रा.स्वा.के., जाखोद खण्ड-झुंझुनू	खण्ड का नाम झुंझुनू के स्थान पर संशोधन करके सुरजगढ किया जाता है।	सुरजगढ	झुंझुनू
34	468	प्रा.स्वा.के., बलोदा खण्ड-झुंझुनू	खण्ड का नाम झुंझुनू के स्थान पर संशोधन करके सुरजगढ किया जाता है।	सुरजगढ	झुंझुनू
35	469	सामु.स्वा.के., मण्ड्रेला खण्ड-झुंझुनू	खण्ड का नाम झुंझुनू के स्थान पर संशोधन करके चिडावा किया जाता है।	चिडावा	झुंझुनू
36	470	प्रा.स्वा.के., अरडावता खण्ड-झुंझुनू	खण्ड का नाम झुंझुनू के स्थान पर संशोधन करके चिडावा किया जाता है।	चिडावा	झुंझुनू
37	471	प्रा.स्वा.के., सोलाना खण्ड-झुंझुनू	खण्ड का नाम झुंझुनू के स्थान पर संशोधन करके चिडावा किया जाता है।	चिडावा	झुंझुनू

क्र. स.	अधि. में क्र.सं.	अधि. में नाम	संशोधन	खण्ड	जिला
38	472	प्रा.स्वा.के., जखोडा खण्ड-झुंझुनू	खण्ड का नाम झुंझुनू के स्थान पर संशोधन करके चिडावा किया जाता है।	चिडावा	झुंझुनू
39	473	प्रा.स्वा.के., केहरपुरा खण्ड-झुंझुनू	खण्ड का नाम झुंझुनू के स्थान पर संशोधन करके चिडावा किया जाता है।	चिडावा	झुंझुनू
40	474	प्रा.स्वा.के., चनाना खण्ड-झुंझुनू	खण्ड का नाम झुंझुनू के स्थान पर संशोधन करके चिडावा किया जाता है।	चिडावा	झुंझुनू
41	475	प्रा.स्वा.के., नरहड खण्ड-झुंझुनू	खण्ड का नाम झुंझुनू के स्थान पर संशोधन करके चिडावा किया जाता है।	चिडावा	झुंझुनू
42	476	प्रा.स्वा.के., सुलताना खण्ड-झुंझुनू	खण्ड का नाम झुंझुनू के स्थान पर संशोधन करके चिडावा किया जाता है।	चिडावा	झुंझुनू
43	477	प्रा.स्वा.के., बख्तयारपुरा खण्ड-झुंझुनू	खण्ड का नाम झुंझुनू के स्थान पर संशोधन करके चिडावा किया जाता है।	चिडावा	झुंझुनू
44	478	प्रा.स्वा.के., भडून्दाकला खण्ड-झुंझुनू	खण्ड का नाम झुंझुनू के स्थान पर संशोधन करके चिडावा किया जाता है।	चिडावा	झुंझुनू
45	479	प्रा.स्वा.के., गिडानिया खण्ड-झुंझुनू	खण्ड का नाम झुंझुनू के स्थान पर संशोधन करके चिडावा किया जाता है।	चिडावा	झुंझुनू
46	480	प्रा.स्वा.के., ठिकाना खण्ड-झुंझुनू	खण्ड का नाम झुंझुनू के स्थान पर संशोधन करके चिडावा किया जाता है।	चिडावा	झुंझुनू
47	481	प्रा.स्वा.के., नूनिया खण्ड-झुंझुनू	खण्ड का नाम झुंझुनू के स्थान पर संशोधन करके चिडावा किया जाता है।	चिडावा	झुंझुनू
48	482	प्रा.स्वा.के., पदमपुरा खण्ड-झुंझुनू	खण्ड का नाम झुंझुनू के स्थान पर संशोधन करके चिडावा किया जाता है।	चिडावा	झुंझुनू
49	483	प्रा.स्वा.के., बबाई ब्लाक खण्ड-झुंझुनू	खण्ड का नाम झुंझुनू के स्थान पर संशोधन करके खेतडी किया जाता है।	खेतडी	झुंझुनू
50	484	सामु.स्वा.के., बडाउ खण्ड-झुंझुनू	खण्ड का नाम झुंझुनू के स्थान पर संशोधन करके खेतडी किया जाता है।	खेतडी	झुंझुनू
51	485	प्रा.स्वा.के., चारावास खण्ड-झुंझुनू	खण्ड का नाम झुंझुनू के स्थान पर संशोधन करके खेतडी किया जाता है।	खेतडी	झुंझुनू
52	486	प्रा.स्वा.के., डाडा फतेहपुरा खण्ड-झुंझुनू	खण्ड का नाम झुंझुनू के स्थान पर संशोधन करके खेतडी किया जाता है।	खेतडी	झुंझुनू
53	487	प्रा.स्वा.के., दलेलपुरा खण्ड-झुंझुनू	खण्ड का नाम झुंझुनू के स्थान पर संशोधन करके खेतडी किया जाता है।	खेतडी	झुंझुनू
54	488	प्रा.स्वा.के., जसरापुर खण्ड-झुंझुनू	खण्ड का नाम झुंझुनू के स्थान पर संशोधन करके खेतडी किया जाता है।	खेतडी	झुंझुनू

क्र. स.	अधि. में क्र.सं.	अधि. में नाम	संशोधन	खण्ड	जिला
55	489	प्रा.स्वा.के., मॉदरी खण्ड-झुंझुनू	खण्ड का नाम झुंझुनू के स्थान पर संशोधन करके खेतडी किया जाता है।	खेतडी	झुंझुनू
56	490	प्रा.स्वा.के., नेहडा खण्ड-झुंझुनू	खण्ड का नाम झुंझुनू के स्थान पर संशोधन करके खेतडी किया जाता है।	खेतडी	झुंझुनू
57	491	प्रा.स्वा.के., पपूराना खण्ड-झुंझुनू	खण्ड का नाम झुंझुनू के स्थान पर संशोधन करके खेतडी किया जाता है।	खेतडी	झुंझुनू
58	492	प्रा.स्वा.के., रसूलपुर खण्ड-झुंझुनू	खण्ड का नाम झुंझुनू के स्थान पर संशोधन करके खेतडी किया जाता है।	खेतडी	झुंझुनू
59	493	प्रा.स्वा.के., सेफरागुवार खण्ड-झुंझुनू	खण्ड का नाम झुंझुनू के स्थान पर संशोधन करके खेतडी किया जाता है।	खेतडी	झुंझुनू
60	494	प्रा.स्वा.के., शिमला खण्ड-झुंझुनू	खण्ड का नाम झुंझुनू के स्थान पर संशोधन करके खेतडी किया जाता है।	खेतडी	झुंझुनू
61	495	प्रा.स्वा.के., सिरोड खण्ड-झुंझुनू	खण्ड का नाम झुंझुनू के स्थान पर संशोधन करके खेतडी किया जाता है।	खेतडी	झुंझुनू
62	496	प्रा.स्वा.के., टीबाबसई खण्ड-झुंझुनू	खण्ड का नाम झुंझुनू के स्थान पर संशोधन करके खेतडी किया जाता है।	खेतडी	झुंझुनू
63	497	प्रा.स्वा.के., त्यौदा खण्ड-झुंझुनू	खण्ड का नाम झुंझुनू के स्थान पर संशोधन करके खेतडी किया जाता है।	खेतडी	झुंझुनू
64	498	प्रा.स्वा.के., तातीजा खण्ड-झुंझुनू	खण्ड का नाम झुंझुनू के स्थान पर संशोधन करके खेतडी किया जाता है।	खेतडी	झुंझुनू
65	499	प्रा.स्वा.के., बाढॉ की ढाणी खण्ड-झुंझुनू	खण्ड का नाम झुंझुनू के स्थान पर संशोधन करके खेतडी किया जाता है।	खेतडी	झुंझुनू
66	500	प्रा.स्वा.के., लोयल खण्ड-झुंझुनू	खण्ड का नाम झुंझुनू के स्थान पर संशोधन करके खेतडी किया जाता है।	खेतडी	झुंझुनू
67	501	प्रा.स्वा.के., ठाठवाडी खण्ड-झुंझुनू	खण्ड का नाम झुंझुनू के स्थान पर संशोधन करके खेतडी किया जाता है।	खेतडी	झुंझुनू
68	515	प्रा.स्वा.के., पौख खण्ड-बुहाना	खण्ड का नाम बुहाना के स्थान पर संशोधन करके उदयपुरवाटी किया जाता है।	उदयपुरवाटी	झुंझुनू
69	516	सामु.स्वा.के., बढा गॉव खण्ड-बुहाना	खण्ड का नाम बुहाना के स्थान पर संशोधन करके उदयपुरवाटी किया जाता है।	उदयपुरवाटी	झुंझुनू
70	517	सामु.स्वा.के., गुढा गौड जी खण्ड-बुहाना	खण्ड का नाम बुहाना के स्थान पर संशोधन करके उदयपुरवाटी किया जाता है।	उदयपुरवाटी	झुंझुनू
71	518	प्रा.स्वा.के., छापोली	खण्ड का नाम बुहाना के स्थान पर	उदयपुरवाटी	झुंझुनू

क्र. स.	अधि. में क्र.सं.	अधि. में नाम	संशोधन	खण्ड	जिला
		खण्ड-बुहाना	संशोधन करके उदयपुरवाटी किया जाता है।		
72	519	प्रा.स्वा.के., मण्डावरा खण्ड-बुहाना	खण्ड का नाम बुहाना के स्थान पर संशोधन करके उदयपुरवाटी किया जाता है।	उदयपुरवाटी	झुंझुनू
73	520	प्रा.स्वा.के., पंचलगी खण्ड-बुहाना	खण्ड का नाम बुहाना के स्थान पर संशोधन करके उदयपुरवाटी किया जाता है।	उदयपुरवाटी	झुंझुनू
74	521	प्रा.स्वा.के., चॅवरा खण्ड-बुहाना	खण्ड का नाम बुहाना के स्थान पर संशोधन करके उदयपुरवाटी किया जाता है।	उदयपुरवाटी	झुंझुनू
75	522	प्रा.स्वा.के., केड खण्ड-बुहाना	खण्ड का नाम बुहाना के स्थान पर संशोधन करके उदयपुरवाटी किया जाता है।	उदयपुरवाटी	झुंझुनू
76	523	प्रा.स्वा.के., छावसारी खण्ड-बुहाना	खण्ड का नाम बुहाना के स्थान पर संशोधन करके उदयपुरवाटी किया जाता है।	उदयपुरवाटी	झुंझुनू
77	524	प्रा.स्वा.के., टिटनवाड खण्ड-बुहाना	खण्ड का नाम बुहाना के स्थान पर संशोधन करके उदयपुरवाटी किया जाता है।	उदयपुरवाटी	झुंझुनू
78	525	प्रा.स्वा.के., सिगनौर खण्ड-बुहाना	खण्ड का नाम बुहाना के स्थान पर संशोधन करके उदयपुरवाटी किया जाता है।	उदयपुरवाटी	झुंझुनू
79	526	प्रा.स्वा.के., भोडकी खण्ड-बुहाना	खण्ड का नाम बुहाना के स्थान पर संशोधन करके उदयपुरवाटी किया जाता है।	उदयपुरवाटी	झुंझुनू
80	527	प्रा.स्वा.के., धमोरा खण्ड-बुहाना	खण्ड का नाम बुहाना के स्थान पर संशोधन करके उदयपुरवाटी किया जाता है।	उदयपुरवाटी	झुंझुनू
81	528	प्रा.स्वा.के., इन्द्रपुरा खण्ड-बुहाना	खण्ड का नाम बुहाना के स्थान पर संशोधन करके उदयपुरवाटी किया जाता है।	उदयपुरवाटी	झुंझुनू
82	529	प्रा.स्वा.के., गुडा खण्ड-बुहाना	खण्ड का नाम बुहाना के स्थान पर संशोधन करके उदयपुरवाटी किया जाता है।	उदयपुरवाटी	झुंझुनू
83	530	प्रा.स्वा.के., मणकसास खण्ड-बुहाना	खण्ड का नाम बुहाना के स्थान पर संशोधन करके उदयपुरवाटी किया जाता	उदयपुरवाटी	झुंझुनू

क्र. स.	अधि. में क्र.सं.	अधि. में नाम	संशोधन	खण्ड	जिला
			है।		
84	244	प्रा.स्वा.के., बाखासर	प्रा.स्वा.के., बाखासर के स्थान पर सामु.स्वा.के., बाखासर किया जाता है।	चौहटन	बाडमेर
85	413	सामु.स्वा.के., भणियाणा	खण्ड का नाम जैसलमेर के स्थान पर संशोधन करके सांकडा किया जाता है।	सांकडा	जैसलमेर
86	134	प्रा.स्वा.के., कंवलिवास	प्रा.स्वा.के., कंवलिवास के स्थान पर प्रा.स्वा.के., कंवलियास किया जाता है।	गुलाबपुरा	भीलवाडा
87	136	प्रा.स्वा.के., मोखुन्दा	प्रा.स्वा.के., मोखुन्दा के स्थान पर सामु.स्वा.के., मोखुन्दा किया जाता है।	रायपुर	भीलवाडा
88	144	प्रा.स्वा.के., खजूरी	प्रा.स्वा.के., खजूरी के स्थान पर सामु.स्वा.के., खजूरी किया जाता है।	जहाजपुर	भीलवाडा
89	147	प्रा.स्वा.के., शंकरगढ	प्रा.स्वा.के., शंकरगढ के स्थान पर प्रा.स्वा.के., शक्करगढ किया जाता है।	जहाजपुर	भीलवाडा
90	150	प्रा.स्वा.के., ईटुन्डा	प्रा.स्वा.के., ईटुन्डा के स्थान पर प्रा.स्वा.के., ईटुन्डा किया जाता है।	जहाजपुर	भीलवाडा

इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक **14.04.2020** में उल्लेखित अजमेर जोन की सूची में क्रम संख्या **274** पर अंकित सामु.स्वा.के., परबतसर, नागौर का नाम नगर निगम में आने के कारण अधिसूचना से हटाया जाता है।

उक्त चिकित्सा संस्थानों में सेवा करने वाले चिकित्सकों को पीजी में प्रवेश हेतु प्रति वर्ष की सेवा के लिए नीट परीक्षा में प्राप्तांकों पर अतिरिक्त अंकभार (**Incentive marks**) दिये जावेंगे। इस हेतु एक वर्ष की राज्य सेवा पूर्ण करने पर प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांकों का **10** प्रतिशत, **2** वर्ष की राज्य सेवा पूर्ण करने पर **20** प्रतिशत तथा **3** वर्ष की राज्य सेवा पूर्ण करने पर अधिकतम **30** प्रतिशत अतिरिक्त अंकभार (Incentive marks) दिये जावेंगे।

सेवारत चिकित्सकों को, इस अधिसूचना के प्रभावी होने से पूर्व में घोषित रिमोट, डिफिकल्ट एवं ग्रामीण क्षेत्र में दिनांक **30.04.2018** तक न्यूनतम एक वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर ही अतिरिक्त अंक देय होंगे।

प्रतिवर्ष नये खुलने वाले/क्रमोन्नत होने वाले चिकित्सा संस्थानों को निर्धारित मापदण्डों को पूरा करने पर रिमोट एवं डिफिकल्ट क्षेत्र की सूची में स्वतः ही शामिल मानकर लाभ देय होगा।

उक्त आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

संजय कुमार,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।